प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आपराधिक अपील नं. 489/2012

राकेश यादव, पिता– भीम यादव उर्फ भजऊ यादव, उम्र लगभग 28 वर्ष,
निवासी– श्री राम चौक, टिकरापारा, रायपुर (छ.ग.)

..... **अपीलार्थी**

विरूद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना टिकरापारा रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

..... **उत्तरवादी**

अपीलार्थी के लिए : श्री संतोष दास, श्री पवन कुमार कश्यप अधिवक्तागण।

उत्तरवादी राज्य के लिए : श्री अनुराग वर्मा, पैनल अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव एवं
माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती विमला सिंह कपूर,

बोर्ड पर निर्णय, मनिन्द्रा मोहन श्रीवास्तव, जे. द्वारा

22/03/2021

यह अपील सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्र. 170/2011 में पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश दिनांक 31.03.2012 के निर्णय के विरूद्ध की गई हैं, जिसके द्वारा और जिसके तहत् अपीलार्थी को धारा 302 भादसं के अधीन अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और आजीवन कारावास के दण्डादे ा के साथ 1,000/– रूपये जुर्माना व्यतिक्रम की शर्त के साथ दी गई है।

2. अभियोजन का मामला है कि अपीलार्थी अपनी पत्नी के साथ खुश नहीं था तथा उसके चरित्र पर संदेह करता था, जिसके कारण उनके बीच अक्सर झगड़ा होता था। अभियोजन के मामले के अनुसार, घटना की तारीख से एक दिन पहले झगड़ा हुआ था, और मृतक/पत्नी घर छोड़ दी और भाभी के साथ रहने चली गई थी। घटना के दिन अपीलार्थी/पति वहॉ आया और पत्नी को ससुराल वापस ले आया। मृतक द्वारा अपनी

माता से भी कई बार झगड़े की शिकायत की गयी थी और इसलिए उसी दिन उसकी माता और बहन दोनो अपीलार्थी के घर आये। अपीलार्थी अपनी पत्नी और नाबालिग बच्चे के साथ घर के ऊपरी मंजिल में रहता था। जब बहन कुमारी मनकी यादव (पी.डब्लू–10) अपनी बहन से मिलने उपर गई तो उसने पाया कि अपीलार्थी बच्चे के साथ बाहर आ रहा था और उसके कपड़े खून से सने हुए थे। जब पी.डब्लू–10 कमरे में दाखिल हुई उसने अपनी बहन को खून से लथपथ पाया। अभियोजन के अनुसार अपीलार्थी ने ही अपनी पत्नी के नाजुक अंगो पर पत्थर के भारी टुकड़े (रसोई में इस्तेमाल होने वाला) से पीट–पीट कर हत्या किया है, जिसके परिणामस्वरूप कई चोटे, संख्या में लगभग 9 थी, जिनमें से कुछ घातक साबित हुई थी।

3. मर्ग कार्यवाही के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था और पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने 8 चोटे पाई थी और अभिमत यह था कि मृत्यु कई चोटो से अत्यधिक रक्तस्त्राव के कारण हुई थी और प्रकृति में आपराधिक मानव वध होना माना था। अन्वेषण पूर्ण होने के बाद आरोप–पत्र दाखिल किया गया। अपीलार्थी ने आरोपो को इंकार किया और इसलिए उस पर मुकदमा चलाया गया। अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था कि पति–पत्नी के मध्य अक्सर झगड़ा होता रहता था, पत्नी घटना के एक दिन पहले ससुराल छोड़कर चली गई थी, उसे घटना के दिन उसके पति द्वारा घ ार वापस लाया गया था, मृतिका की बहन (पी.डब्लू.–10) और अन्य गवाहों ने भाव को खून से लथपथ पाया था और अपीलार्थी की उपस्थिति उसके द्वारा पहने गए खून सने कपड़ो के साथ थी। हेतुक जैसा कि अभियोजन द्वारा अभिकथित था कि अपीलार्थी अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका करता था, जिसके कारण अंततः उसकी हत्या हुई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य में अभियुक्त के विरूद्ध प्रकट होने वाले संलिप्तकारी परिस्थितियों और साक्ष्य के संबंध धारा 313 दप्रसं. के तहत् अभियुक्त का परीक्षण किया गया, जिसमें अपीलार्थी ने उन साक्ष्य और परिस्थितियों को इंकार किया, उसने निर्दोष और झूठा फंसाये जाने का अभिकथन किया। कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं

किया गया।

5. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भरोसा करते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी अपराध का दोषी था। जिससे वर्तमान अपील उत्पन्न हुआ है।

6. अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि वर्तमान मामले में, अभियोजन का मामला केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है क्योंकि कोई प्रत्य क्षदर्शी साक्षी नहीं है, इसलिए विचारण न्यायालय को अभियुक्त की दोषसिद्धि की ओर इंगित करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला को पूरा करने के संबंध में स्पष्ट निष्कर्ष अभिलिखित किया जाना चाहिए था लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्य जो अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किया गया है, संदेह से परे नहीं है और केवल इसलिए कि मृतिका अपीलार्थी की पत्नी थी, यह मान लिया गया है कि अपिलार्थी ने अपनी पत्नी को मारा है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का अगला तर्क है कि भले ही, अभियोजन का मामला स्वीकार कर लिया जाए कि अपीलार्थी ने हमला किया था, किन्तु अपीलार्थी पर आरोपित आपराधिक परोक्ष कृत्य धारा 304 भादसं. के क्षेत्र एवं परिधि के परे नहीं है क्योंकि यह एक अचानक और गंभीर उकसावे के अपवाद का मामला है। उन्होंने तर्क किया कि अभियोजन के अनुसार भी अपीलार्थी अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था और जिसके कारण उसने हत्या किया इसलिए, यह धारा 300 भादसं. के अधीन आने वाले अपवाद का एक मामला है, और किसी भी दशा में अपीलार्थी की दोषसिद्धि धारा 304 भादसं. के अधीन परिवर्तित किये जाने योग्य है। चूंकि अपीलार्थी 8 वर्ष से अधिक जेल दण्डादे ा में व्यतित कर चुका है इसलिए दण्डादेश में परिवर्तन करते हुए, अपीलार्थी को स्वतंत्र करने का निवेदन किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा आपराधिक मृत्यु, झगड़ा, हेतुक, अपीलार्थी और मृतक की उसी घर में उपस्थिति अपीलार्थी के उसकी पत्नी

को कई चोटें आने के संबंध में स्पष्टीकरण देने में विफल रहने और आपराधिक मृत्यु और अपीलार्थी के कपड़ो में खून की उपस्थिति के संबंध में अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से साबित पाया गया है। उन्होंने तर्क किया कि यद्यपि अभियोजन साक्षियों ने कथन किया है कि अपीलार्थी अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था किन्तु यह ऐसा मामला नहीं है कि अपीलार्थी ने अचानक अपनी पत्नी को किसी तीसरे व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा था और अचानक एवं गंभीर उकसावे के कारण, उसने अपनी पत्नी पर हमला किया था जिससे यह धारा 300 भादसं. के अधीन किसी अपवादों के परिधि में लाया जाए। उन्होंने तर्क किया कि दूसरी ओर यह हत्या का एक ठोस हेतुक गठित करता है। उन्होंने आगे तर्क किया कि अभियोजन साक्षियों ने जिस रिति में घटना के संबंध में कथन किया है और उस दिन के पहले जो हुआ, पी डब्लू–10 द्वारा जैसा बताया गया कि कमरे में अपीलार्थी की तत्काल उपस्थिति थी। अधीनस्थ न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अनुमान लगाने में कोई अवैधानिकता नहीं की है कि सभी सम्भावनाओ में अपीलार्थी ने ही उक्त अपराध किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. हमने पक्षकारो के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना, विचारण न्यायालय के अभिलेख एवं निर्णय का परिक्षण किया।

9. अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। अभियोजन के मामले को साबित करने के लिए विद्वान विचारण न्यायायल ने निर्णय के पैराग्राफ 25 में ऐसे 6 परिस्थितिजन्य साक्ष्य का परीक्षण किया है। ये परिस्थितिजन्य साक्ष्य विश्वनीय पाये गये है।

10. विचारण न्यायालय द्वारा प्रथम परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर विचार किया गया और साबित पाया गया है कि अपीलार्थी अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था तथा उसके साथ झगड़ा करता था। भजऊ (पी.डब्लू.–3) – अपीलार्थी के पिता ने कथन किया है कि उसका पुत्र अपनी पत्नी के साथ घर के तीसरे माले पर रहता था तथा उनके बीच झगड़ा होता था परन्तु उसे जानकारी नहीं है कि उक्त झगड़ा क्यों होता था। श्रीमती झूला बाई

(पी.डब्लू.–9) – मृतिका की मॉ का अभिसाक्ष्य है कि उसकी पुत्री की अपीलार्थी से 5 साल पहले शादी हुई थी और अपीलार्थी उसकी पुत्री के चरित्र पर संदेह करता था और उसके साथ झगड़ा करता था। इस गवाह ने प्रति–परीक्षण में स्वीकार किया है कि शादी के बाद पति–पत्नी के बीच कोई विवाद नहीं था तथा घटना के पहले भी कोई विवाद नहीं था। उसने यह भी स्वीकार किया है कि अपीलार्थी नशे की हालत में मृतिका के साथ झगड़ा करता था। मनकी बाई (पी.डब्लू.–10) – मृतिका की बहन ने बताया है कि अपीलार्थी और उसकी पत्नी/मृतिका झगड़ा करते थे और इस झगड़े का मुख्य कारण यह था कि वह उसके चरित्र पर संदेह करता था।

11. उपरोक्त गवाहों के साक्ष्य से एक बात सिद्ध होती है कि अपीलार्थी और मृतिका के बीच का संबंध कुछ हद तक दागदार था, तथा उनके बीच झगड़ा हुआ करता था। अभिलेख पर साक्ष्य आया है कि झगड़े का कारण घटना दिनांक के एक दिन पहले मृतिका अपनी भाभी के घर चली गई थी जहां से उसे वापस लाया गया था। पी.डब्लू.–9 मृतिका की माता ने कथन किया है कि अपीलार्थी चरित्र पर संदेह करता था जिसकी संपुश्टि पी.डब्लू.–10 के साक्ष्य से भी होती है, जिसने भी कथन किया है कि अपीलार्थी मृतक के चरित्र पर संदेह करता था। उनके मध्य निरंतर झगड़ा होने का साक्ष्य अभियोजन साक्षियों द्वारा किए गए कथन में प्रचुरता में है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. दूसरा और तीसरा परिस्थितिजन्य साक्ष्य जो विद्वान विचारण द्वारा साबित पाया गया है कि घटना दिनांक के दो दिन पहले, अपीलार्थी अपने ससुराल से पत्नी के साथ वापस आया था तथा मृतिका के साथ झगड़ा हुआ था जिसके कारण वह कामती बाई (पी.डब्लू. –7), भाभी के घर चली गई थी। यह विशिष्ट तथ्य कामती बाई (पी.डब्लू.–7), माता झूला बाई (पी.डब्लू.–9) एवं अपीलार्थी की भाभी मानती बाई (पी.डब्लू.–10) के साक्ष्य से साबित हुआ है। इन तीनो गवाहो के बयान से स्पष्ट प्रकट होता है कि घटना दिनांक से दो दिन पहले, अपीलार्थी अपने ससुराल से पत्नी के साथ वापस आया था तथा उनके बीच झगड़ा हुआ था। कामती बाई (पी.डब्लू.–7) ने भी यह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि घटना

दिनांक से एक दिन पहले, मृतिका उसके घर शिकायत लेकर आई थी कि अपीलार्थी शारीरिक हिंसा में लिप्त था और इसलिए उसने ससुराल छोड़ दिया है। वह वहॉ रात भर रूकी और अगले दिन अभियुक्त उसके घर आया और उसे अपने साथ ले गया, हालांकि वह उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी, कह रही थी कि वह तभी वापस जाएगी जब उसकी मॉ आएगी लेकिन फिर भी अपीलार्थी ने जोर दिया और उसे अपने घ ार ले गया।

13. चौथा और पांचवा परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर जिस पर अभियोजन द्वारा भरोसा किया गया है कि अपीलार्थी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपने घर के कमरे के अंदर गया था और जब मृतिका की मॉ और बहन उसके घर आए, तब वह अपने बच्चे को लेकर नीचे आया और उसकी पतलून में खून के धब्बे थे। इस संबंध में झूला बाई (पी.डब्लू.–9) और मनकी यादव (पी.डब्लू.–10) द्वारा साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन किया गया है। वे मृतक की माता और बहन है। पी.डब्लू.–09 ने कथन किया है कि पिछली रात में उमा बाई (मृतिका) ने उसे फोन से सूचित किया था कि अपीलार्थी उसके साथ झगड़ा कर रहा था, इसलिए वह भाभी के घर आई थी और उसने उसे बुलाया था। जब अगले दिन वह अपनी पुत्री मानकी (पी.डब्लू.–10) के साथ अपीलार्थी के घर गई, उसके बारे में अपीलार्थी की भाभी गिरिजा (पी.डब्लू.–1) से पूछताछ की, जिसने उसे बताया कि मृतिका आधे घंटे पहले वापस आई है और अपने कमरे में रूकी है। उसके बाद, उसकी पुत्री मानकी (पी. डब्लू.–10) ऊपर चली गई और तुरंत रोने लगी और उस समय अपीलार्थी बच्चे के साथ दौड़कर नीचे आया और उसकी पतलून खून से सनी हुई थी। जब यह साक्षी अन्य लोगो के साथ ऊपर कमरे में गई तो उन्होंने पाया कि उमा बाई खून से लथपथ पड़ी थी और उसके चेहरे, छाती और गले पर चोट के निशान थे। उसने आगे बताया कि उसके बाद वे पुलिस थाना गए और रिपोर्ट दर्ज कराये थे। प्रति–परीक्षण में उसने बताया है कि घटना दिनांक से पहले कोई झगड़ा नहीं हुआ था और स्वीकार किया है कि अभियुक्त एक शराबी था और उसे शराब न पीने और नौकरी करने की सलाह दी गई थी। उसने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

स्वीकार किया है कि नशे की हालत में, अपीलार्थी मृतक के साथ झगड़ा करता था। इस गवाह के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि जब यह साक्षी अभियुक्त के घर गई और अपनी पुत्री के बारे में पूछताछ की तो उसे बताया गया कि वे उपर के कमरे में है और जब उसकी छोटी पुत्री सीढ़ियों से उपर गई तो मृतक को खून से लथपथ पाया और अपीलार्थी अपने बच्चे के साथ नीचे आ रहा था। साक्ष्य के इस विशेष पहलू पर, प्रति–परीक्षण में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे इस वि ाश्ट विवरण पर अविश्वास किया जाए।

14. झूला बाई (पीडब्लू–9) के उपरोक्त कथन की विशेषकर उसकी पुत्री कु. मानकी (पीडब्लू–10) के कथन से पुष्टि होती है, जिसने भी कहा कि बहन के दर्दभरे बुलावा मिलने पर की अपीलार्थी के उसके साथ झगड़ा करने से वह अपीलार्थी के घर से चली गई थी और उन्हें सूचित किया गया कि उमा उपर रूकी हुई हैं और जब वह उपर गई तो वहॉ, उसने कुछ पिटने की आवाज सुनी और उसने अपीलार्थी को बच्चे के साथ सीढ़ियों से नीचे आते हुए देखा और जब वह कमरे में गई तो उसने अपनी बहन को खून लथपथ पड़ा देखा। उसके प्रति–परीक्षण में केवल एक चीज पता चलती है कि घटना से पहले अपीलार्थी उसकी बहन के साथ झगड़ा करता था लेकिन कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी लेकिन जहां तक अपीलकर्ता का उसकी पत्नी के साथ घर पर तत्काल उपस्थिति का प्रश्न है और उन अजीब परिस्थितियों में जब वह सीढ़ियों से नीचे आ रहा था और उसी समय पत्नी कमरे में खून से लथपथ पड़ी मिली अभियोग नहीं हो सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. छइवीं परिस्थितिजन्य साक्ष्य खून से सना पत्थर जोकि अपीलार्थी के कमरे से बरामद किया गया था और अपीलार्थी के कपड़े भी जब्त कर किए गए थे, जिसे अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से साबित किया गया हैं। एफएसएल की रिपोर्ट के अनुसार दोनो पर खून के धब्बे पाए गए थे।

16. उपर्युक्त परिस्थितियों को युक्ति युक्त रूप से संदेह से परे अभियोजन द्वारा साबित किया गया है। यह अपीलार्थी के लिए था कि वह स्पश्टिकरण दे कि किन परिस्थितियों के अधीन उसकी पत्नी के शरीर पर कई चोटे आई और उसकी आपराधिक मृत्यु हुई थी,

के बारे में साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में अंर्तविष्ट प्रावधानो के आलोक में प्रकटीकरण करने के लिए बाध्य था। इस संबंध में ना तो प्रति–परीक्षण में और न ही अभियुक्त के परीक्षण में कोई ऐसा बचाव लिया गया है, जिसे धारा 106 साक्ष्य अधिनियम के अधीन अपेक्षित स्पष्टीकरण के रूप में गठित स्वीकार्य और संभाव्य बचाव कहा जा सके। अभिलेख के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी और उसकी पत्नी घर की तीसरी मंजिल पर रहते थे और कमरे में एकमात्र तीसरा सदस्य एक नाबालिग बच्चा था। न केवल यह परिस्थितियां साबित करती है कि घटना दिनांक के एक दिन पहले अपीलकर्ता/पति और मृतिका/पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था और यह इतना अधिक था कि मृतक घर से चली गई थी। वह अपनी भाभी के साथ रहने के लिए आयी थी और अगले दिन पति आया था और मृतिका के मना करने के बाद भी जिद करके उसे वापस ले गया था। उसके बाद घर में अपीलार्थी की तत्काल उपस्थिति, उसका खून सने कपडो के साथ नीचे आना और मृतिका का कमरे में मृत पाया जाना, सभी सलिप्तकारी परिस्थितियां है। डॉक्टर (पीडब्लू–6) द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट साबित किया गया और उसके साक्ष्य से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि मृतिका को किसी भारी वस्तु, पत्थर से बुरी तरह से इतना ज्यादा पीटा गया था, कि उसे 9 चोटें आई थी, जिसमें कुछ घातक चोटे शामिल थी, जिससे अत्यधिक रक्तस्त्राव के कारण मृत्यु हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डॉक्टर का साक्ष्य और उसकी राय कि यह हत्यात्मक मृत्यु थी। सारवान रूप से विवादित नहीं किया गया है। अभियुक्त अपनी पत्नी की चोटों के कारण के बारे में स्पष्टीकरण देने में असफल रहा है। परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी होने से निष्कर्ष निकलता कि सभी संभावनाओ मे यह अपीलार्थी ही है और केवल अपीलकर्ता ही है जिसने अपनी पत्नी की हत्या की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का अंतिम निवेदन है कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि को धारा 304–II भादसं के अधीन परिवर्तित किया जा सकता है, में कोई दम नहीं है। जैसा कि हम तर्क से समझ सकते हैं कि उक्त दलील अभियोजन पक्ष की इस कहानी पर

आधारित है कि अपीलार्थी अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था और इसलिए, अपवाद 1 के भीतर आता है।

उपरोक्त अपवाद को आकर्षित करने के लिए एक उचित बचाव यह स्थापित किया जाना चाहिए था कि अपराधी गंभीर और अचानक उकसावे से आत्म–नियंत्रण की शक्ति से वंचित किया गया था और जो मृत्यु का कारण बना। हालॉकि, वर्तमान मामला ऐसा नहीं है जहॉ अपीलार्थी ने अपनी पत्नी को किसी तीसरे व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया था। एकमात्र साक्ष्य जो सामने आया है, वह यह है कि अपीलार्थी उसके चरित्र पर संदेह करता था। शायद, इसे उकसावे की श्रेणी में रखा जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से अचानक उकसावा नहीं था। इसके विपरीत, यह केवल एक मजबूत हेतुक प्रदान करता है। इसलिए, धारा 300 के अपवाद का कोई मामला नहीं बनता है।

18. परिणामस्वरूप, हम दोषसिद्धि के निर्णय और दण्डादेश में हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा आधार नहीं पाते है। तदनुसार, अपील निरस्त की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एसडी/– **एसडी/–**

(मनेान्द्र मोहर श्रीवास्तव) **(विमला सिंह कपूर)**
न्यायाधीश **न्यायाधीश**

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**